रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112021-231298
CG-DL-E-23112021-231298

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 667] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943
No. 667] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 826(अ).—केंद्रीय सरकार, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का 34) की धारा 8क की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए मार्गदर्शन आदेश, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए मार्गदर्शन (संशोधन) आदेश, 2021 है ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए मार्गदर्शन आदेश, 2018 के पैरा 5 में, उप पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) केंद्रीय सरकार एक समिति का गठन करेगी जो शत्रु संपत्ति निपटान समिति के रुप में जानी जाएगी, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्

(क)	गृह मंत्रालय, भारत सरकार में गृह सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर सचिव	अध्यक्ष;
(ख)	गृह मंत्रालय, भारत सरकार में वित्तीय सलाहकार	सदस्य;
(ग)	गृह मंत्रालय में गृह सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट संयुक्त सचिव	सदस्य;
(घ)	अपविनिधान और लोक आस्तियां प्रबंध विभाग, वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव	सदस्य;
(ङ)	विधि और न्याय मंत्रालय में संयुक्त सचिव या समतुल्य	सदस्य;

(च) मुख्य इंजीनियर, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सदस्य ;

(छ) भारत का शत्रु संपत्ति अभिरक्षक सदस्य सचिव ”।

[फा. सं. 37/32/2018 – ईपी]

मनीष तिवारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि 258 (अ) द्वारा तारीख 21 मार्च, 2018 को प्रकाशित किया गया था और सा.का.नि. 201 (अ) द्वारा तारीख 8 मार्च, 2019 को और संशोधन किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 17th November, 2021

G.S.R. 826(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 8A of the Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Guidelines for the disposal of Enemy Property Order, 2018, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) This order may be called the Guidelines for the disposal of Enemy Property (Amendment) Order, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Guidelines for the disposal of Enemy Property Order, 2018, in paragraph 5, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(1) The Central Government shall constitute a Committee consisting of the following to be known as the Enemy Property Disposal Committee, namely:-

(a) Additional Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs nominated by the Home Secretary — Chairman;

(b) Financial Advisor in the Ministry of Home Affairs, Government of India — Member;

(c) Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs nominated by the Home Secretary — Member;

(d) Joint Secretary in the Department of Disinvestment and Public Asset Management, Ministry of Finance — Member;

(e) Joint Secretary or equivalent in the Ministry of Law and Justice — Member;

(f) Chief Engineer, Central Public Works Department — Member;

(g) Custodian of Enemy Property for India. — Member Secretary”.

[F.No.37/32/2018-EP]

MANISH TIWARI, Jt. Secy.

Note: The Principle Order was published in the Gazette of India, Extra Ordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* GSR 258 (E) dated the 21st March, 2018 and further amended *vide* G.S.R. 201 (E), dated the 8th March, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.11.23 22:35:31 +05'30'